सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
छत्तीसगढ़स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN: U40108CT2003SGC015821

क्रमांक 04–02/144 रायपुर दिनांक 11/05/2020

प्रति,

कलेक्टर महोदय
रायगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग तक एप्रोच रोड के लिए आवश्यक वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अनापत्ति प्रदान करने हेतु ।

संदर्भः–

1. अ.मु.व.सं. (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर का पत्र क्रमांक भू–प्रबंध/ विविध/ 115–854/843 रायपुर दिनांक 05.05.2020 ।
2. प्रस्तावित प्रकरण का प्रस्ताव क्रमांक एफपी/सीजी/रोड/41897/2019 ।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 04–02/198 दिनांक 23.12.2019 ।

*****

कृपया इस कार्यालय से संदर्भित पत्र (स.क्र.3) का अवलोकन करें जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है । विदित हो कि केन्द्रीय कोयला मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के वेस्टिंग आदेश क्रमांक 103/23/2015/NA दिनांक 14.09.2015 के तहत रायगढ़ जिला स्थित गारे पेलमा सेक्टर–III कोल ब्लाक का आबंटन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को मड़वा ताप विद्युत परियोजना हेतु किया गया है । कोल ब्लाक से कोयला उत्खनन का कार्य समस्त स्वीकृतियों/अनुमतियों के प्राप्ति पश्चात दिनांक 06.12.2009 से किया जा रहा है। वर्तमान में सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन कर रार्बटसन रेल्वे स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा मड़वा ताप विद्युत केन्द्र तक पहुचाया जा रहा है ।

मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्टर्न रेल्वे कारिडोर लिमिटेड द्वारा धरमजयगढ़ से खरसिया के बीच रेल लाईन बिछाने का निर्माण कार्य किया गया है । इस रेल मार्ग के मध्य घरघोड़ा रेल्वे स्टेशन का निर्माण किया गया है । मड़वा ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के उद्देश्य से घरघोड़ा रेल्वे स्टेशन से रेलमार्ग द्वारा कोयले के परिवहन करने का निर्णय लिया गया है ।

इस संदर्भ में विदित हो कि वर्तमान में घरघोड़ा छाल मुख्य मार्ग से घरघोड़ा रेल्वे स्टेशन तक पहुंच मार्ग नहीं है । इस एप्रोच सड़क के निर्माण हेतु अ.मु.व.सं. (भू–प्रबंध/व.सं.अ. रायपुर के संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का वनभूमि प्रत्यवर्तन हेतु आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया गया है (पत्र की छायाप्रति संलग्न) एवं प्रकरण का प्रस्ताव क्रमांक एफपी/सीजी/रोड/41897/2019 आबंटित किया गया है ।

D:\Gunil\E.D.\C-P\Devendra Nath Sir\ACE\Letter\All new Hindi Letter.doc
Regd. Office: "Vidyut Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.)
CHIEF ENGINEER (CIVIL-PROJECT), Shed No. 02, Dangania, Raipur (C.G.) 492013
कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल–परियोजना),शेड क्र.–02, डंगनिया, रायपुर (छ0ग0) 492013
Tele: 0771-2574561, Fax: 0771-2574579, E-Mail: civil.cseb@gmail.com Website: www.cspc.co.in/cspgcl

उक्त भूमि घरघोड़ा वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र कंपार्टमेंट क्रमांक 1235P का हिस्सा है जिसका कुल रकबा 307.258 हैक्टेयर है, मे से 0.956 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता एप्रोच रोड के निर्माण हेतु प्रस्तावित है और यह क्षेत्र ग्राम घरघोड़ा के अंतर्गत अवस्थित है । यहां यह दर्शाना उचित होगा कि पूर्व में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 04–02 / 198 दिनांक 23.12.2019 में आवश्यक भूमि का माप 0.993 हेक्ट. सूचित किया गया था, जो DGPS सर्वे के उपरांत 0.956 हेक्ट. भूमि को अंतिम रूप से वन विभाग द्वारा स्वीकृत कर प्रकरण पंजीकरण की कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्तावित भूमि हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन आवश्यक अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करे । अनापत्ति प्रमाण पत्र की निर्धारित प्रपत्र संलग्न है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार एवं प्रस्तावित भूमि का नक्शा ।

11/05/2020

मुख्य अभियंता (सिविल–परियोजना–I)
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी
लिमिटेड, रायपुर

Annexure-I

Form-I
(for linear projects)
Government of ....
Office of the District Collector ....

*****

No. .... dated ....

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd Aug 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.993 heactares of forest land proposed to be diverted in favour of Chhattisgarh State Power Generation Company Limited for Construction of Approach Road to Gharghoda Railway Siding in Raigarh district falls within jurisdiction of Gharghoda villages in Gharghoda tehsils.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.993 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s). Gram Sabha (s). Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure-1 to 4.
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it,
(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl :- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ, अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–854/ 843
रायपुर, दिनांक 05/05/2020

प्रति,

CE CIVIL PROJECT
CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION COMPANY LIMITED
NEAR ANUPAM GARDEN
RAIPUR, CHHATTISGARH

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Coal Transportation Through Goods Railway Siding Gharghoda– regarding**

संदर्भः – **CSPGCL** का आनलाईन प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2019

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत रायगढ जिले के रायगढ़ वनमंडल में Rail corridor का निर्माण किया गया है तथा घरघोड़ा Railway Siding से कोयला परिवहन के लिए एप्रोच रोड हेतु संदर्भित आनलाईन आवेदन कर वन भूमि की मॉग की गई है।

Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (छ.ग. शासन का उपकम) संस्थान को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंन्तर्गत आनलाईन पंजीयन कराने हेतु अनुमति दी जाती है। आनलाईन कमियों की पूर्ति कर प्रकरण के पंजीयन की प्रकियॉ पूर्ण करें। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अ.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./ भू–प्रबंध/विविध/115–854/ 844
रायपुर, दिनांक 05 /05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1 **प्रमुख सचिव** वन विभाग, छ.ग. शासन मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.
2 **Chief Operating Officer,** CHHATTISGARH EAST RAILWAY LTD. 2nd Floor, CSIDC Commercial Complex, Mahadev Ghat Road, Raipura Chowk, Raipur
3 **Chief General Manager,** NTPC Talaipali Coal Limited, Talaipalli Coal Mining Project, Lailunga road, Gharghoda, Raigarh, Chhattisgarh.
4 **Director**, Bharat Road Carrier Private Limited, North Chakradhar Nagar, Near P.H.E. Office Raigarh Chhattisgarh
5 **Owner,** SHREE MAYUR PANKH COAL FEEDER, H.No 265,Ward No-19, Gandhi Ganj, Raigarh,Chhatisgarh

CSPGCL के राज्य शासन के उपकम होने के कारण एवं सर्वप्रथम रूचि दर्शित करने के कारण सूची कमांक 3,4 एवं 5 संस्थानो के आनलाईन आवेदन निरस्त किये जाते है। कृपया वेब से प्रकरण डिलीट करने हेतु आवेदक संस्थान आनलाईन प्रकरण निरस्त की कार्यवाही करें।

अ.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

C.S.P.G.C.L., RAIPUR
CE (Civil-Project)-I
R. No. 142
Date 6/05/2020

CE1
06/05

C:\Users\ADMIN\Desktop\Email Railway siding Letter 25042020.doc (20 June 2018)

Speed Post/Email

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
CIN: U40108CT2003SGC015821

C. PGCL

क्रमांक 04–02/ 198 रायपुर दिनांक– 23/12/2019

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर
जिला–रायगढ़

विषय:–घरघोड़ा– छाल मुख्य मार्ग से घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग तक कोयला परिवहन हेतु पहुंच मार्ग निर्माण के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी संबंधी (FRA) प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 17593 SL/F&E दिनांक 24.10.2009 में उल्लेखानुसार किसी भी परियोजना के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के व्यपवर्तन के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA आवश्यक है। गारे पेलमा सेक्टर–III कोयला ब्लाक, केन्द्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी को आबंटित किया गया है जिसका राज्य शासन द्वारा माइनिंग लीज स्वीकृति (08.12.2016), माइनिंग लीज निष्पादन (23.02.2017) एवं समस्त स्वीकृतियां/अनुमतियाँ प्राप्ति उपरांत कोयला उत्पादन दिनांक 06.12.2019 से प्रारम्भ हो चुका है। भारत सरकार पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 23.05.2013 की कंडिका 2 (xxi) & 2 (xxii) के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर–III खदान से उत्पादित कोयले का सड़क मार्ग से परिवहन स्वीकृति खरसिया रेल्वे साइडिंग तक (लगभग दूरी 80km) प्रदत्त है (प्रति संलग्न)। नवनिर्मित घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग तक की दूरी गारे पेलमा सेक्टर–III खदान से मात्र 40 कि.मी. है जो खरसिया रेल्वे साइडिंग की तुलना में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निश्चित ही श्रेयस्कर होगा। घरघोड़ा छाल मुख्य मार्ग से रेल्वे साइडिंग तक प्रस्तावित पहुंच मार्ग की लंबाई 902.21 मीटर है जो वनकक्ष क्रमांक PF 1235 के अन्तर्गत आता है एवं मार्ग निर्माण हेतु (902.21 मी. x 11.00 मी.) कुल 0.993 हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन की आवश्कता है। इस रेखीय परियोजना के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत कृषि समुदाय वनवासी प्रभावित नही हो रहे हैं।

अतः घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग तक (902.21 मी. x 11.00 मी.) प्रस्तावित पहुच मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक वनभूमि रकबा 0993 हेक्टर. के व्यपवर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA प्रमाण पत्र कृपया जारी करने हेतु आवेदन सअनुरोध प्रस्तुत है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार एवं प्रपत्र–I प्रारूप।

23/12/19

मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना–I)
छ.ग.स्टेट पा.जन.कंपनी लिमिटेड, रायपुर

o/c

D:\Letter\Hindi up to 27.07.2018.doc

Regd. Office: "Vidyut Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.)
Chief Engineer (Civil -Project), Shed No. 02, Dangania, Raipur (C.G.) 492013
कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल–परियोजना), शेड क्र.–02, डगनिया, रायपुर (छ0ग0) 492013
Tele: 0771-2574561, Fax: 0771-2574579, E-Mail: cspgcl.coal@gmail.com, Website: www.cspc.co.in/cspgcl

ANNEXURE III

MAP SHOWING PROTECTED FOREST AREA UNDER COAL TRANSPORTATION APPROACH ROAD TO RAILWAY SIDING GHARGHODA SUPERIMPOSED ON FOREST MAP, VILLAGE - GHARGHODA, TEHSIL - GHARGHODA, DISTRICT - RAIGARH, CHHATTISGARH

Scanned with CamScanner